न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./4879/2003/ भरतपुर

डालचन्द पुत्र श्री सांवलिया जाति फोजदार निवासी ग्राम नगला सीखतहसील एवं जिला भरतपुर ..अपीलांट

बनाम

1–रामकुमार पुत्र गुलाब सिंह जाति जाट निवासी नगला उॅचा तहसील व जिला भरतपुर
2–पूरनसिंह
3–बांके पुत्रान श्री पन्ना जाति जाट निवासी ग्राम सीखम तहसील व जिला भरतपुर
4– रघुनाथ पुत्रराम सिंह
5– राजस्थान सरकार ----रेस्पोडेंटस

खण्ड–पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री धूकलराम कसवा, सदस्य

उपस्थितः
श्री जे0के0पारी अधिवक्ता, अपीलार्थी।
श्री हंगामी लाल चौधरी,अभिभाषक रेस्पोडेंटस

निर्णय

दिनांक : 26 मार्च, 2019

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 295/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.06. 2003 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / अपीलांट ने रेस्पोडेंट / प्रतिवादीगण के विरुद्ध ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि सा.ख.नं. 203 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा,195 रकबा 19बिस्वा हाल खसरा नम्बर 151 रकबा 0.9 ऐयर एवं 141 रकबा 0.24 ऐयर वाके ग्राम बहनेरा का वादी खातेदार काश्तकार है परन्तु सैटलमेंट विभाग ने वादी का नाम निस्फ हिस्से पर दर्ज कर दिया एवं पन्नराम पुत्र दयाराम दर्ज कर दिया जबकि पन्ना पुत्र सांवरिया होना चाहिए । प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा दिनांक 22–5–02 को रजिस्ट्री कर दी है जोकि वादी के प्रति वातिल व बेअसर तथा शून्य है। अतः दावा डिक्री कर वादी को विवादित आराजी का

खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व बयनामा दिनांक 22–5–02 को बातिल व शून्य घोषित किया जावे।

अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित आये किन्तु जबाव पेश नही किया। बाद में अनुपस्थित होने से प्रतिवादी के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही की गयी।तदोपरान्त वादी की साक्ष्य ली गयी। अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय ने दावे में वादी की इकतरफा बहस सुन कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक16–2–2002 के द्वारा दावा को खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष अपीलांट/वादी की ओर से प्रस्तुत की गयी, जिनके द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21–6–2003 को अपील खारिज कर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–9–2002 को यथावत रख गया गया। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया और मुख्य तर्क यह दिया कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बात पर गौर नही किया कि जमाबन्दी सं.2010 से 13 में वादी का विवादित आराजी में आधा हिस्सा दर्ज है एवं अपीलांट ने मुताबिक हिस्सा खातेदारी घोषित करने की डिक्री चाही गयी थी किन्तु बाद में सैटलमेंट विभाग ने अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कर रेस्पोडेंट संख्या दो के पिता पन्ना के नाम दर्ज कर दी जबकि भू प्रबन्ध विभाग को किसी खातेदारी को कलमजन करने का अधिकार नही था। इकसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि भू प्रबन्ध विभाग ने पन्ना पुत्र दयाराम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जबकि पन्ना एवं डालन्द आधे हिस्सा पिसरान सांवलिया दर्ज करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को अजर अन्दार कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो काबिल निरस्तनीय है। अन्त में अपील स्वीकार कर दोनो अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त कर दावा वादी/अपीलांट डिक्री करने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांट पक्ष की ओर से की गयी बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर है, दोनो ही निर्णय विस्तृत होकर साक्ष्यों पर आधारित है। ऐसीस्थिति में दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती होने से हस्तगत अपील के माध्यम से इनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अन्त में अपील खारिज कर, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट /वादी की ओर से परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को तलब किया

गया था जो उपस्थित तो हुए लेकिन उनकी ओर से कोई जबाव आदि प्रस्तुत नही किया और बाद में वे उपस्थित नही होने से उनकी इकतरफा कार्यवाही करते हुए एवं वादी की ओर से साक्ष्य लेकर व इकतरफा बहस सुन कर, वादी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नही होने से अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–9–2002 के द्वारा खारिज किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबान्दी सं. 2052 से 55 में खसरा नम्बर 151/9 एअर पर पन्ना पिसरान दयाराम आधा हिस्साऔर रघुनाथ पिसरान रामासिंह आधा हिस्सा दर्ज है। खसरा नम्बर 141/24 ऐयर पर पूरन पिसरान पन्ना 14/24 आर पन्ना पिसरान दयाराम 5/24 और रघुनाथ पिसरान रामासिंह 5/24 कौम फोजदार खातेदार अंकित है। मिलान क्षेत्रफल सं. 2043से62 के अनुसार साबिक खसरा नम्बरान 195,203 से बने हाल नंबर 141/24 ऐयर,151/9एयर बनाना बताया गया है जमाबन्दी सं.2010 में अन्य मालिकों के साथ पन्ना एवं डालचन्द पिसरान सांवलिया अंकित है। जबकि वादी पूर्ण रकबे पर अपना व प्रतिवादी का आधे आधे पर खातेदारी चाहता है ,लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई सबूत पेश नही किया है जिससे कि उसे निस्फ के अलावा शेष निस्फ पर किसी प्रकार की खातेदारी प्रदान की जावे।वादी ने स्वयं अपने दावे के मद सख्या 5 में अंकित किया है कि विवादित आराजी पर खसरा नम्बर 151/9एयर पर रघुनाथ का कब्जा है। चूँकि वादी का उक्त नम्बर पर जब कब्जा ही नही है तो वह खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी भी नही है। अपीलांट की ओर से जमाबन्दी सं02010से13 पेश की है ,उसमें अन्य नम्बरों के साथ साथ खसरा नम्बर 195 और 203 पर खुदकाश्त पन्ना,डालचन्द पिसरान सावलिया बहिस्सा बराबर निस्फ और ज्ञानी पिसरान गयाराम 1/4,प्यारे 1/4 दर्ज किया हुआ है। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलाट का आराजी में कोई आधा हिस्सा नही बनता है और वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पन्ना पिसरान दयाराम अंकित है, पन्ना पिसरान सावलिया नही है।

अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–9–2002 पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर है, जिसके विरुद्ध प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील को उनके द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.2003 के द्वारा अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 16–9–2002 को यथावत रख कर कोई कानूनी त्रुटि नही की है। दोनो ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विस्तृत/ समवर्ती है जिनमें हस्तगत अपील के माध्यम से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की हम आवश्यकता नही समझते है। अपीलांट की ओर से दौराने बहस जो तथ्य अपील को स्वीकार कराने के लिए लिये वे सारहीन है। परिणामस्वरुप यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील खारिज की जाती है। राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर एवं सहायक कलक्टर भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः 21–6–2003 एवं 16–9–2002 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया।

(धूकलराम कसवॉ)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य